

ALL RIGHTS RESERVED सर्वाधिकार सुरक्षित

06/FD/CC/M-2019-16

2019

LABOUR AND SOCIAL WELFARE श्रम एवं समाज कल्याण

Time Allowed: 3 hours समय : 3 घण्टे

Maximum Marks: 300

पूर्णांक : 300

Instructions:

All questions carry equal marks.

- Answer six (06) questions in all, selecting three (03) from each Section.
- Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
- All questions have been printed both in English and Hindi. In case of any ambiguity in Hindi version, the English version shall be considered authentic.
- Parts of the same question must be answered together and must not be interposed between answers to other questions.

अनुदेश :

- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक खण्ड से तीन-तीन प्रश्नों को चुनते हुए कुल छः प्रश्नों के उत्तर दें।
- परीक्षार्थी यथासम्भव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
- सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषा में छपे हैं। यदि हिन्दी भाषा में कोई संदेह है, तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा।
- एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएँ तथा उनके बीच में अत्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएँ।



(2)

SECTION-I

रबण्ड—1

Discuss the major sources of labour legislations.
 Write down the special features of main labour legislations ensuring social security and well-being of the workers in the organised sector.

श्रम विधानों के मुख्य सोतों का वर्णन कीजिए। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा खुशहाली सुनिश्चित करने वाले मुख्य श्रम विधानों के विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख कीजिए।

2: "Workers' issues have received adequate attention in the Constitution of India." Analyse the above statement in the light of main Articles in the Constitution.

"भारत के संविधान में श्रमिकों के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।" संविधान में वर्णित मुख्य अनुच्छेदों के प्रकाश में उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए।

- (a) Explain the provisions relating to the employment of women and children in the Factories Act, 1948.
 - (b) Explain the salient features of the Equal Remuneration Act, 1976.



(3)

- (क) कारखाना अधिनियम, 1948 में महिलाओं तथा बच्चों के रोजगार से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
- (ख) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
- (a) Discuss the procedure of calculating gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972.
 - (b) Critically analyse the statement that "the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 should be either prohibitory or regulatory, it cannot be both".
 - (क) ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत ग्रेच्यूटी निर्धारण
 (गणना) की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
 - (ख) ''बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को या तो निषेधात्मक या फिर विनियमात्मक होना चाहिए, यह अधिनियम दोनों प्रकार का नहीं हो सकता।'' उक्त कथन की गंभीर आलोचना कीजिए।
- (a) Write the definition of the terms shop, employer and establishment as given in the Bihar Shops and Establishments Act, 1953.
 - (b) Explain Maternity and Medical Benefits under the Employees' State Insurance Act, 1948.



(4)

- (क) बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 में प्रदत्त दूकान,नियोक्ता तथा प्रतिष्ठान शब्दों का अर्थ लिखिए।
- (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में वर्णित मातृत्व एवं चिकित्सकीय लाभों को स्पष्ट कीजिए।
- 6. (a) Describe the administrative structure and functions of Chief Labour Commissioner Office in Bihar.
 - (b) Discuss the concept of Decent Work Agenda' of International Labour Organisation.
 - (क) बिहार में मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय की प्रशासनिक संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।
 - (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 'डीसेन्ट वर्क एजेन्डा' की अवधारणा की चर्चा कीजिए।

SECTION-II

खण्ड—II

 Describe the indicators and reflectors of industrial relations in an industrial organisation with examples.

एक औद्योगिक संगठन में औद्योगिक संबंधों के संकेतकों तथा प्रतिक्षेपकों का सोदाहरण वर्णन कीजिए।



8. "Trade Unionism in Bihar could neither bring the positive changes in the lives of workers nor it could create a harmonious working environment."

In view of the above statement, explain the strengths and weaknesses of trade unions in Bihar.

"बिहार में श्रम संघवाद न तो श्रमिकों की जिन्दगी में सकारात्मक परिवर्तन कर सका, न ही यह सामंजस्थपूर्ण काम का माहौल ही पैदा कर सका है।"

उपर्युक्त कथन के संदर्भ में, बिहार में श्रम संघों की शक्तियों तथा कमजोरियों का उल्लेख कीजिए।

- 9. (a) When an individual dispute becomes an industrial dispute?
 - (b) Discuss the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 relating to declaration of strike and lockout.
 - (क) एक व्यक्तिगत विवाद कब एक औद्योगिक विवाद बन जाता है?
 - (ख) हड्ताल तथा तालाबन्दी से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में वर्णित प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
- 10. Who is Poor? What are the causes of poverty in Bihar? Mention special programmes (any two) for eradicating rural poverty in India.



(6)

'मर्रीब' कौन है? बिहार में निर्धनता के क्या कारण हैं? भारत में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के विशेष कार्यक्रमों (कोई दो) का उल्लेख कीजिए।

- 11. (a) Differentiate among child welfare, child development and child protection.

 Write about four categories of rights of children.
 - (b) Write a short note on the status of Old Age Pension Scheme in Bihar.
 - (क) वाल कल्याण, बाल विकास तथा बाल संरक्षण में अन्तर स्पष्ट कीजिए। चर्चों को प्रदत्त चार क्षेणियों में वर्णित अधिकारों की चर्चा कीजिए।
 - (ख) बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- Write short notes on any three of the following:
 - (a) Unfair Labour Practices
 - (b) Law related to Beggary and its effectiveness
 - (c) Group Insurance Schemes
 - (d) Prohibition in Bihar



(7)

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप टिप्पणियाँ लिखिए :

- (क) अनुचित श्रम प्रथाएँ
- (ख) भिक्षावृत्ति से संबंधित कानून तथा उनकी प्रभावशीलता
- (ग) सामृहिक बीमा योजनाएँ
- (घ) बिहार में नशावन्दी

The Vision